भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*172
बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019/13 अग्रहायण, 1941 (शक)

सरकारी नौकरी में उभयलिंगी व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े

*172. डा॰ सांतनु सेनः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विगत तीन वर्षों में किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या और प्रतिशतता संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार कब तक ऐसे आंकड़े एकत्र कर लेने की योजना बना रही है;

(घ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की नौकरियों समेत सरकारी नौकरियों में उभयलिंगी व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों में इस संख्या में हुई वृद्धि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

“सरकारी नौकरी में उभयलिंगी व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े” के संबंध में डा॰ सांतनु सेन द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *172 के लिए दिनांक 04.12.2019 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ङ): सरकार केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में उभयलिंगी के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखती है। उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण और उनके कल्याण के उपबंध के लिए, सरकार ने “उभयलिंगी व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019” नामक एक विधेयक लोक सभा में पेश किया। इस विधेयक को लोक सभा द्वारा दिनांक 05.08.2019 को पारित किया गया और राज्य सभा द्वारा इसे 26.11.2019 को पारित कर दिया गया है।

*****